भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

आतारांकित प्रश्न सं. 2778

बुधवार, दिनांक 05 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>जलविद्युत नीति, 2008</u>

2778. श्री हनुमान बेनीवाल: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलविद्युत नीति, 2008 के अंतर्गत जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली का 13 प्रतिशत भाग संबंधित होम/होस्ट राज्य को निःशुल्क आपूर्ति करने का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अंतर-राज्यीय पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की मेजबानी करने वाले राज्यों को ऐसी बिजली का 15 प्रतिशत या कोई अन्य उपयुक्त प्रतिशत निःशुल्क प्रदान करने की संभावना पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की-गई कार्रवाई, गठित समिति, विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का होस्ट राज्यों द्वारा भूमि, प्राकृतिक संसाधनों और अवसंरचना के उपयोग को ध्यान में रखते हुए कोई नई नीति बनाने का विचार है; और

(ङ.) यदि हां, तो इसे कब तक तैयार किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी जल विद्युत नीति, 2008 के अनुसार, जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्य सरकार को 12% बिजली मुफ़्त दी जानी होती है। इसके अतिरिक्त 1% मुफ्त बिजली भी दी जाती है, जो आय सृजन और कल्याणकारी योजनाओं के लिए नियमित राजस्व प्रवाह प्रदान करने, अतिरिक्त अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं के निर्माण आदि के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) के लिए निर्धारित होती है।

(ख) और (ग): वर्तमान में, अंतर-राज्यीय (इंटर-स्टेट) पवन और सौर विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होने वाली विद्युत का 15% हिस्सा उन राज्यों को मुफ़्त में देने का कोई प्रस्ताव नहीं है जहाँ ये संयंत्र स्थित होते हैं।

(घ) और (ङ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
